कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ।

पत्रॉकः /जि0यो0–प्र0वि0स्वी0/2010–11 दिनांकः 7 मार्च, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्याः 221/XXVIII–5–2011–51 /2009 दि0: 25 जनवरी, 2011 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत जिला योजना के कार्यान्वयन हेतु आयोजनात्मक पक्ष **अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत 1.31 लाख रूपये, अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत 29.65 लाख रूपये एवं अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत 14.44 तथा कुल आवंटित धनराशि 45.40 लाख रूपये** की धनराशि स्वीकृत कर निर्वतन पर रखी गयी है।

मुख्य चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ ने अपने पत्र संख्याः जिला योजना/2010–11 दि0 26 फरवरी, 2011 द्वारा चिकित्सा विभाग की निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति चाहने हेतु इस कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसमें उपकेन्द्रों का निर्माण में चालू योजना के अन्तर्गत उप केन्द्र चिटगल गंगोलीहाट अधूरे भवन निर्माण को पूर्ण करने हेतु रू0 9.45 लाख, नयी योजना के अन्तर्गत उपकेन्द्र नरूवाघोल गंगोलीहाट के निर्माण हेतु रू0 14.41 लाख, उपकेन्द्र राथी धारचूला हेतु रू0 5.03 लाख, उपकेन्द्र मडखडायत मूनाकोट हेतु रू0 10.39 लाख, राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालयों व स्टाफ क्वार्टर का निर्माण में चालू योजना के अन्तर्गत राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय चमाली के निर्माण हेतु रू0 0.81 लाख तथा नये योजना के अन्तर्गत राजकीय ऐलोपैथिक खेत के निर्माण हेतु रू0 5.11 लाख एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण में नये योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मदकोट के भवन निर्माण हेतु रू0 0.20 लाख कुल रू0 45.40 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति चाही गयी है।

उक्त शासनादेश में दिये गए निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में वर्ष 2010–11 की जिला योजना में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की योजनाओं हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित कार्यो के सम्पादन हेतु **मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनॉक 24.03.2008 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 45.40 लाख रू0 (पैतालीस लाख चालीस हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–**

1. उक्त शासनादेश संख्याः 221/XXVIII– 5–2011–51 /2009 दि0: 25 जनवरी, 2011 में उल्लेखित समस्त शर्तो एवं प्राविधानो का पालन सुनिश्चित किया जाय।
2. इस धनराशि का व्यय केवल जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2010–11 में अनुमोदित कार्यो के लिये किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय स्वीकृत योजनाओं पर ही आवंटित सीमा तक किया जाय। धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेश के तहत् किया जाय। जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
4. **जिन मामलो में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उसमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियाँ अवश्य प्राप्त कर ली जाय।**
5. **जिन योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जाने हो उनके आगणनो की तकनीकी जाँच जिला स्तर पर गठित तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (टी0ए0सी0) के परीक्षीणोपरान्त योजनान्तर्गत धनराशि व्यय की जाय।**
6. **कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा कार्य निर्धारित सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी की होगी।**
7. **निर्माण कार्यो की गुणवत्ता प्रगति हेतु सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी होगें।**
8. स्वीकृति धनराशि ऐसे कार्यो पर व्यय न की जाय जिसमें किसी प्रकार का विवाद हो, साथ ही कार्य प्रारम्भ करने की पूर्व की स्थिति, कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित कार्य का फोटोग्राफ पत्रावली में सुरक्षित रखा जाय।
9. स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2011 तक कर लिया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति विवरण विभागाध्यक्ष/शासन को उपलब्ध कराया जाय।
10. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारो का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुवल) तथा अन्य सुसंगत नियम/शासनादेश आदि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः.....2

11. व्यय केवल उन्हीं मदो में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है। **आहरण/व्यय एक मुस्त न करके आवश्यकता अनुसार ही किया जाय।**
12. व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशो में निहित निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
13. उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय शासनादेशों में निहित शर्तो के अधीन किया जाय।
14. स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।
15. मासिक व्यय विवरण/बी0एम0–8 प्रत्येक माह अपने विभागाध्यक्ष को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
16. **इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष में शासनादेश शासनादेश संख्याः 221/XXVIII–5–2011–51 /2009 दि0: 25 जनवरी, 2011 में निहित सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।**

यह आदेश मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनॉक 24.03.2008 तथा शासनादेश संख्याः 221/XXVIII– 5–2011–51 /2009 दि0: 25 जनवरी, 2011 के कम में जारी किये जा रहे है।

(एन0एस0 नेगी)
जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।

संख्याः 238485/जि0यो0/प्रा0वि0स्वी0/2010–11 तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ।
3. अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ।
4. उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमॉयू मण्डल, हल्द्वानी।
5. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।

प्रतिलिपिः सूचनार्थ प्रेषित।

1. ऑयुक्त कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
2. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
4. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, देहरादून।
5. राज्य योजना आयोग, बजट सैल, वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,1 उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।